न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 273/2016
पंजीयन दिनांक 04.08.2016

(1). देवीलाल पिता नन्दा जाति तेली निवासी मण्डेसरा हाल मुकाम दीपपुरा तहसील रावतभाटा जिला, चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). नाराणीबाई पत्नी लालचन्द जाति तेली निवासी बडोदिया तहसील रावतभाटा जिला,चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). नानीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति तेली निवासी बड़ोदिया तहसील रावतभाटा हाल मुकाम भीनवाडी तहसील भवानीमण्डी जिला झालावाड़(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). फोरेस्टर वन नाका(वन्यजीव) वन विभाग ग्राम श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). वन अधिकारी(रेन्जर) वन्यजीव वन विभाग वनखण्ड, जवाहरनगर, वन नाका श्रीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). रूपलाल पिता स्वर्गीय गोपीजी जाति तेली के बजाय–
5/1. शांतिबाई पत्नी रूपलाल जाति तेली निवासी मण्डोवरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
5/2. किशन पिता रूपलाल जाति तेली निवासी मण्डोवरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
5/3. जगदीश पिता रूपलाल जाति तेली निवासी मण्डोवरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
5/4. प्रकाश पिता रूपलाल जाति तेली निवासी मण्डोवरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या 61/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). नरेन्द्र कुमार नाहर–अधिवक्ता अपीलांट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(2). पूरणमल स्वर्णकार-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
(3). रेस्पोडेन्ट सख्या 5/1 से 5/4-बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा श्रीपुरा तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 194/44 रकबा 2.16 हैक्टेयर स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 से प्रमाणित है। वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के पूर्वज स्वर्गीय गोपी पिता रुगनाथ जो ग्राम बडवन के निवासी थे। ग्राम बडवन राणा प्रताप सागर बांध के डूब के आ जाने से डूब मे आयी भूमि के एवज मे वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के पूर्वज स्वर्गीय गोपी पिता रुगनाथ को 10 बीघा कृषि भूमि मौजा श्रीपुरा की आराजी संख्या 194 मे से दिनांक 23.03.1971 को आवंटित की जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद की जाकर कब्जा वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के पूर्वज गोपी पिता रुगनाथ को सुपुर्द किया तब से ही गोपी व उसकी मृत्यु के बाद वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल उक्त आवंटनशुदा आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आवंटनशुदा आराजीयात का नामान्तरण संख्या 90 खोला गया जिसमे भी ग्राम बडवन के डूब मे आने तथा डूब मे आयी हुई भूमि के एवज मे उक्त आराजीयात का आवंटन किया जाना उल्लेखित है। आराजी संख्या 194/44 काफी बड़ा रकबा होकर अनेक काश्तकारों को उक्त आराजी सख्या मे से आराजीयात का आवंटन करते हुए काश्तकारों को बटा नम्बर दिये गये थे। वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के पूर्वज गोपी की मृत्यु के उपरान्त विरासतीय नामान्तरण संख्या 1041 दिनांक 08.01.2007 के द्वारा उक्त आवंटनशुदा आराजीयात वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की खातेदारी मे दर्ज की गई तभी से वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हाल ही मे तहसील रावतभाटा मे सेटलमेन्ट अभियान चला जिसमे भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारियों ने मौके व राजस्व रेकॉर्ड का ठीक से अवलोकन किये बिना व वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल को नोटिस दिये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित विवादित आराजी संख्या 194/44 रकबा 2.16 हैक्टेयर को नये भू-प्रबन्ध के राजस्व रेकॉर्ड मे वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की खातेदारी मे से निकाल कर संहवन व त्रुटिवश वन विभाग के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज आराजी संख्या 964 रकबा 5.65 हैक्टेयर व आराजी संख्या 960 रकबा 2.95 हैक्टेयर मे शामिल कर दिया जो कि विधि सम्मत नही होने से दन्द्राज दुरूस्ती की जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को पुनः वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.05.2014 को पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। दिनांक 09.06.2016 को लोक अदालत मे रखी जाकर उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल का कब्जा नहीं होना मानकर वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण संख्या 2 से 4 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण वादीगण संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण संख्या 2 से 4 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.05.2014 को पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त पत्रावली मे उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना ही पत्रावली दिनांक 09.06.2016 को लोक अदालत मे रखी गई जिसकी कोई सूचना वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण को नही थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण की अनुपस्थिति मे व उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना लिखित राजीनामे के वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है । इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने ने निरस्त योग्य है।

अधिवक्तागण रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे गत भू-प्रबन्ध के राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित भूमि खसरा संख्या 194/44 रकबा 2.16 हैक्टेयर जिसका खातेदार वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के पूर्वज गोपी पिता रुघनाथ होकर उक्त साबिक आराजी के नवीन भू-प्रबन्ध के पश्चात आराजी संख्या 964, 960 अंकित किये जाकर वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने से पुनः वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांट्गण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दावे व जवाबदावे के अनुसार दिनांक 19.05.2014 को पत्रावली मे तनकीयात विरचित की गई। आराजी सख्या 960 व 964 दोनो ही गत भू-प्रबन्ध के आराजी संख्या 194/44 से नहीं बने होकर आराजी संख्या 194मी. से बने होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से साथ ही आराजी संख्या 960 व 964 वन विभाग के कब्जे व खातेदारी की भूमि होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से एवं उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल का कब्जा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने से वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण संख्या 2 से 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.05.2014 को पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। इस प्रकार पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त पत्रावली मे उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिये बिना ही पत्रावली दिनांक 09.06.2016 को लोक अदालत मे रखी गई जिसकी कोई सूचना वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल को नही दी गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

परिस्थिति मे व उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना लिखित राजीनामे के वादीगण संख्या 2 से 4 अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण संख्या 5/1 से 5/4 के पिता एवं पति वादी संख्या 1 रूपलाल का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है क्योकि लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण उभय पक्षकारान की सहमति व लिखित राजीनामे के आधार पर ही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही पत्रावली मे तनकीयात विरचित किये जाने के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों की पालना भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण संख्या 2 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवायी जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे ,तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 08.09.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)